

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5418
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए सरकारी बंगलों का आवंटन

†5418. प्रो. सौगत राय:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दलों को नई दिल्ली में कार्यालय/निवास प्रयोजन हेतु आवंटित सरकारी बंगलों का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीय दल को कार्यालय प्रयोजन के लिए सरकारी बंगले के आवंटन से इनकार किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा ऐसे दलों को सरकारी बंगले स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं; और
- (घ) नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव जैसे पदाधिकारियों को आवंटित सरकारी बंगलों का व्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) देश के निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नई दिल्ली में कार्यालय प्रयोजन हेतु आवंटित सरकारी बंगलों का व्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राजनीतिक पार्टी का नाम	आवंटित जीपीआरए	टाइप	अधिवास की तिथि

1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	5, रायसीना रोड 24, अकबर रोड	VIII VIII	05.07.1976 18.07.1990
2.	भारतीय जनता पार्टी	14, पं. पंत मार्ग	VII	07.04.1999
3.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	75, नॉर्थ एवेन्यू	VA	12.08.2021
4.	बहुजन समाज पार्टी	029, लोधी एस्टेट	VIB	15.02.2024
5.	आम आदमी पार्टी (आप)	नंबर 1, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन), नई दिल्ली	VII	25.07.2024

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ) देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव जैसे पदाधिकारियों को नई दिल्ली में निवास के लिए आवंटित सरकारी बंगलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राजनीतिक पार्टी का नाम	आवंटित जीपीआरए	टाइप	आवंटन/नियमितीकरण की तिथि
1.	कुमारी मायावती, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	035, लोधी एस्टेट	VII	15.02.2024
2.	श्री प्रकाश करात, महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन), नई दिल्ली	VII	27.12.2024
